रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम० 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 38] शिमला, शनिवार, 31 मार्च, 1990/10 चैत्र, 1912 [संख्या 13

विषय सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	282—284 तथा 300
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	284
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	285—294
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	294—300
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

31 मार्च, 1990/10 चैत्र, 1912 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं:—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या 1-18/90-वि०स०, दिनांक 21 मार्च, 1990.	विधान सभा सचिवालय	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा वर्ष 1990 के लिये सभापति तालिका सदस्य (पैनल आफ प्रिजाइडिंग मैम्बर्ज) का मनोनयन
संख्या एफ० एस० (चम्बा) 1201-51 दिनांक 14 मार्च, 1990.	कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा	पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए जिला दण्डाधिकारी, चम्बा द्वारा अधिकतम परचून दरों के निर्धारण का प्रकाशन।
संख्या एल० एस० जी०-बी० (15) 4/75-II, दिनांक 16 मार्च, 1990.	स्थानीय स्वशासन विभाग	राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा नगरपालिका सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर नगरपालिका के लम्बित निर्वाचन तक कुछ प्रशासक एवं अधिकारियों की नियुक्ति करना, इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन।
संख्या एफ० डी० एस० ए०(3) -1/86-II, दिनांक 19 मार्च, 1990.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम, 1990 का इसके अंग्रेजी रूपांतर सहित प्रकाशन।
—	Diractorate of State Lotteries	Results of 21st draw of Shimla Super Weekly (21-3-1990), 21st draw of Maa Durga Super Weekly (22-3-1990). 81st draw of Himachal Weekly (22-3-1990) and 99th draw of Golden Weekly (23-3-1990).
संख्या 1-26/90-वि० स०, दिनांक 28 मार्च, 1990.	विधान सभा सचिवालय	हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्यांक 1) का इसके अंग्रेजी रूपांतर सहित प्रकाशन।
No. 8-155/73-DP (Apptt.)(ii), dated 13th March, 1990.	Personnel (Apptt. II) Department	Sh. K. C. Mahajan is ceased to be a member of HPSEB—Publication thereof.

953-राजपत्र/90-31-3-90—1,197.

मूल्य: 2.50 रुपये।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 मार्च, 1990

संख्या सिंचाई 11-109/88-मण्डी.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चवाड़ी, तहसील सदर, जिला मण्डी, (हिमाचल प्रदेश) में वल्ह वैली सिंचाई परियोजना जोन-1 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, व्यास सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : सदर

गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बी0	बि0	बिस्वां
1	2	3	4	5
चवाड़ी/288	253/2	2	15	12
	253/1/1	1	5	4
	254/2/1	1	1	0
	268/3/1	0	10	8
	260/1	0	0	12
	268/1/1	0	1	0
	328/3	1	8	11
	326/1	1	3	13
	327	0	19	4
	324/1	0	18	5
	330/3	1	3	6
	332/2/1	0	10	5
किता ..	12	11	17	16

आदेश द्वारा,
अ0 कु0 महोपात्र,
सचिव ।

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 1990

No. 19-8/89-Shram.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Miss Elahwanti Devi and the Resident Engineer, Shanan Power House, Punjab State Electricity Board, Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court Himachal Pradesh.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 12(5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under:—

"Whether the termination of services of Miss Elahwanti Devi by the Resident Engineer, Shanan Power House, Punjab State Electricity Board, Jogindernagar, District Mandi is legal and maintainable? If illegal, to what relief and service benefits Miss Elahwanti Devi is entitled?"

By order,
Sd/-
F. C.-cum-Secretary (Labour).

LAW DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 14th March, 1990

No. LLR-E(9)4/89-Legislation.—*Read* "20-10-89" *for* the word "Do" occuring in column (3) *against* serial No. 4 and 5 of the table of this Department Notification o even dated 23-12-1989.

Sd/-
Secretary.

बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 फरवरी, 1989

संख्या विद्युत-छ (5)-38/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन0 एच0 पी0 सी0) जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः ग्राम चेहली, ह0 ब0 नं0 13, तहसील व जिला चम्बा में चमेरा जल विद्युत परियोजना के जलाशय क्षेत्र के विलयन हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, चम्बा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन अधिकारी, चमेरा जल विद्युत परियोजना हिलफुटस डाकघर सुल्तानपुर, जिला चम्बा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : चम्बा

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
चेहली	27	1	16
ह0 ब0 नं0 13	28	0	7

1	2	3	4
	29	2	18
	31	0	11
	32	0	14
	33	1	15
	34	1	7
	36	0	7
	37	0	3
	38	0	3
	39	0	19
	40	0	8
	41	0	4
	42	0	8
	43	0	8
	44	0	2
	45	2	5
	46	1	2
	47 मिन	4	0
	47 मिन	1	16
	48	1	1
	49	1	3
	50	0	3
	51	3	3
	52	1	16
	53	0	12
	55	0	18
	56	0	14
	60	0	12
	61	0	6
	62	0	19
	63	0	6
	64	0	7
	65	1	7
	66	3	2
	460	1	2
किता ..	36	39	4

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 16 सितम्बर, 1989

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 126/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कराल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में कलदोग-कुईनल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना, ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन (30) की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: शिमला तहसील: कोटखाई

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	4
कराल	111	1	16
	116	2	4
	118	9	4
	159	5	14
	137	0	16
	133	0	18
	134	1	2
	136	1	5
	17	8	0
	142	1	8
	135	0	8
	196/165	7	11
किता ..	12	40	6

शिमला-171002, 14 मार्च, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 84/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नकराड़ी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में पटसारी-अड़ग सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 को उक्त भूमि के अर्जन करन के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के कार्यालय में भूमि का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : जुब्बल

गांव	खसर नं0	क्षेत्र बी0	क्षेत्र वि0
1	2	3	4
नकराड़ी	986/555/1	0	10
	1089/555/1	0	13
किता ..	2	1	3

शिमला-2, 14 मार्च, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 97/88. —यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः गांव पराली, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में तृतीय श्रेणी के लिए खनेटी में विश्राम गृह के निर्माण हतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-2, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि का अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि के समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला तहसील : कोटखाई

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र वी0	क्षेत्र वि0
1	2	3	4
पराली	1185/1	1	8
किता ..	1	1	8

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

भाग 2—विधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

OFFICE ORDER

Shimla-2, the 19th March, 1990

No. 9-154/73-CS-III-6690.—Whereas Shri Siri Dhar Sharma, Sub-Inspector, Food and Supplies. presently posted at Nankhari in Shimla district has been convicted on the charge of criminal breach of trust under section 409 Indian Penal Code by the Sub-Divisional Judicial Magistrate, Rampur Bushehar. District Shimla, and the conviction has also been upheld by the Additional Sessions Judge, Shimla in appeal filed by the said Shri Siri Dhar Sharma, against the judgement of the trial Court.

And whereas the said Shri Siri Dhar Sharma, was given an opportunity to Show Cause as to why he may not be dismissed from service on the ground of his conduct which has led to his conviction.

And whereas the reply of the Show Cause Notice received from the said Shri Siri Dhar Sharma, has been considered and found unsatisfactory as he has failed to show any extenuating circumstances in relation to the conduct which led to his conviction.

And whereas I am of the considered view that the conduct of the said Shri Siri Dhar Sharma is such as to render his further retention in the public service undesirable.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 19(1) of the Central Civil Services (CCA) Rules, 1965, I hereby order the dismissal from service of the said Shri Siri Dhar Sharma, with immediate effect in public interest.

S. N. VERMA,
Director.

Office of the Assistant Registrar Co-operative Societies Mandi District, Himachal Pradesh

OFFICE ORDERS

Mandi, the 6th March, 1990

No. Co-op. M.—Whereas the Sericulture Co-operative Industrial Society Limited Mandi, District Mandi Himachal Pradesh was put under Liquidation *vide* this Office order No. 4-290 59-920/4-8 dated 31-8-1971.

Whereas the Inspector Co-operative Societies Sadar *vice* his memo No. 108 dated 15-2-1990 has reported that the members of the said society are now interested to revive the said society. The circle Inspector has also recommended the case for the revival of the Society, as the working of the Society has been improved.

Now, therefore, I, B. D. Grover Assistant Registrar, Co-operative Societies Mandi, District Mandi Himachal Pradesh in exercise of the powers under section 83 (1) of Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969), do hereby cancel the order of winding up issued *vide* order referred above and revive the said society with immediate effect, subject to the condition, the society will function smoothly and will show good progress within 6 months period.

Mandi the 6th March, 1990

No. Coop. M.—Whereas the Ravi Dass Leather Industrial Co-operative Society Limited Bhojpur, Tehsil Sundernagar was put under liquidation *vide* this Office order No. Co-op. M. 291/59-3241-43 dated 28-3-1972.

Whereas the Inspector Co-operative Societies, Sundernagar *vide* his memo No. 140 dated 21-2-1990 has reported that the members of the said Society are now interested to revive the said Society. The circle Inspector has also recommended the case for the revival of the society as the working of the society has been improved.

Now, therefore, I, B. D. Grover, Assistant Registrar Co-operative Societies Mandi, District Mandi Himachal Pradesh in exercise of the powers under section 83 (1) of Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, (Act No. 3 of 1969), do hereby cancel the order of winding up issued *vide* order referred above and revive the said society with immediate effect, subject to the condition, that the society will function smoothly and will show good progress within 6 months period.

B. D. GROVER,
Assistant Registrar.
Co-operative Societies Mandi.

Office of the Assistant Registrar Co-operative Societies Sirmaur, District Nahan

ORDER

Nahan, the 20th March, 1990

No. Coop. 3 (44)/75.—Whereas the liquidator of the Kolar Tubewell Irrigation Co-operative Society Limited Kolar, Post Office Kolar, Tehsil Paonta, District Sirmaur Himachal Pradesh has submitted his final report of the liquidation and after considering the report of the liquidator, I, H. S. Tomar, Assistant Registrar, Co-operative Societies Sirmaur, District Nahan in exercise of the powers conferred upon me under section 83 (2) of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) do hereby order the cancellation of the registration of the Kolar Tubewell, Irrigation Co-operative Society Limited Kolar, Post Office Kolar, Tehsil Paonta, District Sirmaur.

H. S. TOMAR,
Assistant Registrar,
Co-operative Society Nahan.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 फरवरी, 1989

सं० गृह-II (बी०) 2-3/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा विभाग में इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1988 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम.—कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी की पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं भर्ती की पद्धति उपाबन्ध "अ" में विनिर्दिष्ट है।

3. निरसन और व्यावृतियां.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 17-4/66-गृह, तारीख 20-1-1971 द्वारा अधिसूचित कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी के पदों के भर्ती और प्रोन्नति नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु ऐसे निरसन के उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उनके अधीन की गई किसी नियुक्ति या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपाबन्ध "अ"

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी के पद के लिए भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी।
2. पदों की संख्या	कम्पनी कमाण्डर=15, वरिष्ठ प्रशिक्षक=1, भण्डार अधिकारी=1, कुल पद=17.
3. वर्गीकरण	वर्ग-3 (अलिपिकीय)
4. वेतनमान	रु० 800-25-850/30-1000/40-1200/50-1400.
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	18 से 50 वर्ष : परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी स रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक्य हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो बाद में ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना यथास्थिति, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमन्त्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं। टिप्पणी-2.—अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं आयु के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।
7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	अनिवार्य अर्हताएं : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक पास अथवा इसके समतुल्य। अथवा सेना का विशेष प्रमाण-पत्र। (2) भारतीय सेना से निर्मुक्त/सेवा मुक्त अधिकारी से भिन्न लैफ्टिनेन्ट पद पर (सम्मानिक के रूप में) कम से कम तीन वर्ष कमीशन अधिकारी रहा हो। अथवा नियमित रूप से सेवारत नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक/मुख्य प्रशिक्षक/प्रशासनिक अधिकारी प्लाटून कमाण्डर/सहायक भंडार अधिकारी जो उक्त रूप में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा या नागरिक सुरक्षा में पांच वर्ष से सेवारत हो। वांछनीय अर्हताए : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं । अनिवार्य अर्हताएं : जैसी कि मद संख्या 7 (1) में दर्शित है ।	
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।	
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा ।	रु0 620—1 200 के वेतनमान में कार्यरत नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक/मुख्य प्रशिक्षक/प्रशासनिक अधिकारी/प्लाटून कमांडर/सहायक भण्डार अधिकारी जो सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हताएं रखता हो, के साथ जिनका उक्त रूप में कम से कम 5 वर्ष का नियमित या तदर्थ (31-12-83 तक) या तदर्थ सहित नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा । प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी । टिप्पणी-1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जायेगी:— (क) उन सभी मामलों में जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-1983) तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल करके के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे : परन्तु प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने वाले सभी पदधारियों की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होनी चाहिए: परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षताओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा । (ख) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 त की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई ह सेवाकाल के लिए गणना में ल जायेगी : परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरू तदर्थ सेवा को गणना में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी । (ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा, प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जायेगी । टिप्पणी-2.—जब कभी नियम 2 के अनुसार पदों में बढ़ौतरी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी ।	
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।	
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए:— (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (भूतपूर्व तान्गानिका और जंजीबार), जाबिया, मालावी, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया हो : परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा तत्कालिन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।	

16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

आदेश द्वारा,
कंवर शमशर सिंह,
सचिव।

[*Authoritative English text of notification No. Home-II(B) 2-3/81, dated 15th February, 1987 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th February, 1987

No. Home-ii (B) 2-3/81.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Company Commander/Senior Instructor/ Store Officer in the Department of Home Guards, Civil Defence and Fire Services, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Home Guards, Civil Defence and Fire Services Department Company Commander/Senior Instructor/Store Officer Recruitment and Promotion Rules, 1988.

(*ii*) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Rules.*—The number of posts, classification, pay scale, qualification and method of recruitment etc. for the post of Company Commander/Senior Instructor/ Store Officer shall be specified in the Annexure "A".

3. *Repeal and savings.*—The Recruitment and Promotion Rules for the post of Company Commander/Senior Instructor/Store Officer notified by this Department notification No. 17-4/66-Home, dated the 30th January, 1971 are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not effect the previous operation of the aforesaid rules or any appointment made or any action taken thereunder.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPANY COMMANDER/SENIOR INSTRUCTOR/STORE OFFICER IN THE DEPARTMENT OF HOME GUARDS AND CIVIL DEFENCE HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Company Commander/ Senior Instructor/Store Officer.
2.	Number of posts	Company Commander=15, Senior Instructor=1, Store Officer=1. Total posts=17.
3.	Classification	Class-III (Non-Ministrial.)
4.	Scale of pay	Rs. 800-25-850/30-1000/ 40-1200/50-1400.
5.	Whether selection post or non-selection post.	Non-selection
6.	Age for direct recruitment.	18 to 50 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis : Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment : Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government : Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in the public sector corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporations/ autonomous bodies. *Note*-1.—Age limit for direct recruitment will be reckoned in the first day of the year in which the posts are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges, as the case may be. *Note*-2.—Age and experience in the case of direct recruitments relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission, in case the candidates otherwise well qualified.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential qualifications* : (*i*) Should have passed Matriculation examination from recognised Board of School Education/University or its equivalent; or Should possess Army Special Certificate. (*ii*) Should be a released/ retired officer of the

	Indian Army who has held the rank of Lieutenant (other than Honorary) with at least three years service as a Commissioned Officer; or Should be a serving regular Civil Defence Instructor/Chief Instructor/Administrative Officer/Platoon Commander/Assistant Storve Officer who has been serving as such for the last five years in the Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defence Department. *Desirable qualifications :* (*i*) Graduate from a recognised University. (*ii*) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.	
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Age : No. Educational qualifications: As given in Col. No. 7(*i*)	
9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.	
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,. deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	50% by promotion; 50% by direct recruitment.	
11 In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotions, deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst Civil Defence Instructors/Chief Instructor/Administrative Officer/Platoon Commander/Assistant Store Officer working in the pay scale of Rs. 620—1200 possessing the essential qualification as prescribed for direct recruits with at least 5 years regular service or *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983) service or both as such. For the purpose of promotion a combined seniority list will be drawn on the basis of length of service in the grade. *Note* 1.—In all cases of promotion *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition :— (*a*) That in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category of post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration : Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. (*b*) Similarly. in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service: Provided that the *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged. (*c*) *Ad hoc* service rendered after 31-12-1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes. *Note*-2.—Provisions of rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under rule 2 are increased.	
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.	
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.	
14. Essential requirements for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post may be,—	

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Nepal, or
(c) a subject of Bhutan, or
(d) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test, or by a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

16. Reservation

The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/scheduled tribes/backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

By order,
KANWAR SHAMSHER SINGH,
Secretary.

कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 1989

संख्या कल्याण (ए)-3-1/88.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वृद्धों, अपंगों तथा विधवाओं को पैंशन देने से सम्बन्धित नियमों को पारिचालित करते हैं :—

व्याख्या :

1. यह नियम हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन) नियम, 1989 कहलाएंगे ।

यह नियम सारे हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू माने जाएंगे ।

उद्देश्य :

2. इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उन वृद्धों, अपंगों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देना है, जिनके पालन-पोषण एवं देख-रेख का उचित साधन न हो ।

पात्रता :

3. इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित वृद्ध, अपंग तथा विधवाएं पात्र होंगे ।

(i) वृद्ध :

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 साल या इससे अधिक हो, उनके पालन-पोषण एवं देख-रेख का उचित साधन न हो तथा सब स्रोतों से उनकी वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो ।

(ii) अपंग :

(क) ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या इस से अधिक हो जिनके पालन पोषण तथा देख-रेख का कोई साधन न हो तथा जिनकी वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो तथा अपंगता उनकी रोजी-रोटी कमाने में बाधक सिद्ध होती हो ।

(ख) ऐसे अपंग बच्चे जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा जिनके माता-पिता या दोनों ही न हों तथा माता-पिता की वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो ।

(ग) ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से अविकसित तथा पागल हों, जिनके पालन-पोषण तथा देख-रेख का कोई साधन न हो, वह अपनी रोजी-रोटी कमाने में असमर्थ हों तथा उनकी वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो ।

(ग-I) ऐसे व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता उनके माता-पिता अथवा अभिभावक (गार्डीयन) के माध्यम से दिया जाएगा ।

(iii) विधवाएं :

ऐसी विधवाएं जिनका कोई भी जीवन निर्वाह का साधन अथवा देख-रेख करने वाला/वाली न हो और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से 2000/- रुपये से अधिक न हो, विधवा पैंशन की पात्र होंगी ।

(ख) ऐसी विधवाएं जिनका कोई भी जीवित व्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री किसी रोजगार में न लगी हो तथा जिन की वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो ।

4. परन्तुक :

(i) उपरोक्त व्यक्तियों का हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक होगा ।

(ii) विधवाएं तथा अपंगों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

(iii) भिखारी पैंशन पाने के पात्र नहीं होंगे । ऐसे अपराधी जिनके अपराधिक मामले पुलिस में दर्ज होंगे या जिनके मामले न्यायालय में चल रहे होंगे पैंशन के पात्र नहीं होंगे ।

(iv) वृद्धावस्था पैंशन के प्रार्थियों के यदि व्यस्क लड़के आजीविका कमा रहे हों और उनकी मासिक आय 1000/- रुपये से अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति पैंशन के पात्र नहीं होंगे तथा उनके लड़कों को अपने वृद्ध माता-पिता का पालन-पोषण करना होगा ।

(v) वृद्धों को दी जाने वाली पैंशन वृद्धावस्था पैंशन कहलाएगी, अपंगों को दी जाने वाली पैंशन अपंग राहत भत्ता कहलाएगा तथा विधवाओं को दी जाने वाली पैंशन विधवा पैंशन कहलाएगी ।

5. पैंशन की दर :

प्रत्येक व्यक्ति को पैंशन 60/- रुपये प्रति मास की दर से या उस दर से जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी, दी जाएगी ।

प्रार्थना-पत्र का देना :

6 (i) नियम 3 के अन्तर्गत पैंशन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र फार्म पर प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । पैंशन के फार्म उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त कल्याण विभाग के निदेशालय, जिलाधीशों के कार्यालय तथा पंचायत में मुफ्त उपलब्ध होंगे । तहसील कल्याण अधिकारी प्राथियों के प्रार्थना-पत्र पूर्ण करवाने में सहायता करेंगे ।

(ii) 12 वर्ष की आयु से कम वाले अपंग बच्चों के प्रार्थना-पत्र उनके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(iii) प्रार्थी अथवा अभिभावक (गार्डीयन) को प्रार्थना-पत्र पर अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी कि वह पैंशन डाकघर में अपना एकाऊंट्स खुलवा कर जमा करवाना चाहता है या मनीआर्डर द्वारा प्राप्त करना चाहता है ।

सत्यापन :

7(i) जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसे एक रजिस्टर में तुरन्त दर्ज किया जाए तथा प्रार्थना-पत्र को रजिस्टर का क्रमांक सौंपा जाए । यह रजिस्टर अनुबन्ध पैंशन फार्म-2 के प्रपत्र पर रखा जाएगा । अधिकारी तुरन्त प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र की पावती भेजेगा तथा उसमें उसके प्रार्थना-पत्र का क्रमांक देते हुए सुझाव देगा कि भविष्य में पत्राचार करते समय उस क्रमांक का ब्यौरा वहां दिया जाए । साथ ही यदि प्रार्थना-पत्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे या तो स्वयं पूर्ण करवा लें या प्रार्थी को पूर्ण कराने हेतु लिख देगा । यह अधिकारी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में दिए गए तथ्यों का सत्यापन महिला मण्डल तथा ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव की सहायता से करेगा । जहां आवश्यक होगा राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा । आयु के बारे में शक होने पर वह आयु के बारे में प्रमाण-पत्र लिखित रूप में प्राप्त करेंगे । प्रार्थी की आय के बारे में भूमि या मकान आदि से यदि हो तो उसने जो वास्तविक आय प्रार्थी को प्राप्त हो रही होगी वहां आय उपरोक्त अधिकारियों द्वारा निश्चित की जाएगी ।

(ii) अपंग व्यक्तियों तथा बच्चों के बारे में निकटतम सरकारी अस्पताल या डिस्पैंसरी के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रार्थी प्रार्थना-पत्र के साथ लगाएगा या जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्त करेगा ।

(iii) विधवाओं के विधवा होने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित पंचायत या नगरपालिका से प्राप्त किया जाएगा । इस प्रकार का प्रमाण-पत्र विधवाओं को प्रति वर्ष जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विधवा ने पुनर्विवाह नहीं किया है ।

पंशन स्वीकृति हेतु कार्यविधि :

8. तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्त प्रार्थना–पत्र का मौके पर जा कर व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र पर देंगे । यह रिपोर्ट नियम 7 (1) में दिए गए रजिस्टर में भी दर्ज की जाएगी जहां प्रार्थी पैंशन का पात्र नहीं पाया जाएगा वहां अधिकारी प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र का क्रमांक देते हुए पात्र न होने के विवरण सहित, तुरन्त सूचित करेगा । जहां प्रार्थी पैंशन के पात्र पाए जाएंगे वहां रजिस्टर के क्रमांक अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अपनी सिफारिश सहित प्रस्ताव तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । जिन प्रार्थना-पत्रों का सत्यापन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया होगा उन पर जिला कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में ही उपरोक्त कार्यवाही करेगा । सारे जिले के प्रार्थना-पत्र संकलित करके रजिस्टरों में दिए प्राथमिकता के आधार पर उनकी सूची जिला कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी तथा यह सूची जिला कल्याण समिति के समुख समिति की बैठक में विचारार्थ तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाएगी । जिला कल्याण समिति द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वह उस सूची में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के आगे लिखे जाएंगे ।

पैंशन का वितरण त्रैमासिक किया जाएगा जोकि त्रैमास के आरम्भ में ही किया जाएगा ।

पैंशन स्वीकृति की शक्तियां :

9. पैंशन की स्वीकृति की शक्ति सम्बन्धित जिला के जिलाधीशों को होगी जोकि जिला कल्याण समिति द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार तुरन्त स्वीकृति जारी करेंगे । जिला कल्याण समिति के लिए गए निर्णय अन्तिम होंगे तथा जिलाधीश उनमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे । जिलाधीशों के साथ-साथ निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग भी पैंशन स्वीकृत करने में सक्षम होंगे । पांगी तथा स्पिति में यह शक्तियां क्रमशः स्थानीय आयुक्त तथा अतिरिक्त जिलाधीश में निहित होंगी । पैंशन सम्बन्धी समस्त रिकार्ड सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों पांगी व काजा के कार्यालय में ही रहेंगे । स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति की प्रति महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश सरकार (अवर सचिव, कल्याण तथा अवर सचिव, वित्त), समाज एवं महिला कल्याण सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण अधिकारी एवं कोषाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी । तहसील कल्याण अधिकारी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत पैंशनों का विवरण सम्बधित पंचायतों को भी इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करेगा कि पंचायत समय-समय पर पैंशनरों की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे सूचित करती रहेगी तथा दुर्भाग्यवश यदि पैंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे भी तुरन्त सूचना प्रस्तुत करेगी । तहसील कल्याण अधिकारी पैंशनरों को भी पैंशन स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा तथा नियम 7 (1) में दिए गए रजिस्टर में स्वीकृति का विवरण दर्ज करेगा । यदि उस पैंशनर की वित्तीय स्थिति पात्रता में दिए गए नियमों के प्रतिकूल न हो तो स्वीकृत पैंशन जीवन पर्यन्त लागू रहेगी ।

पैंशन का वितरण :

10. पैंशन का वितरण त्रैमास आरम्भ होने पर किया जाएगा । सक्षम अधिकारी द्वारा पैंशन स्वीकृत किए जाने पर जिला कल्याण अधिकारी पैंशन की राशि का आहरण खजाने से करके मनीआर्डर द्वारा पैंशनर को भेज देगा या उसके डाकघर खाते में जमा करवा देगा जैसा कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में चाहा हो । पैंशन त्रमास आरम्भ होने पर भेजी जाएगी । मनीआर्डर का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तीन मास समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् अगल तीन मास की पैन्शन इस प्रकार पैंशनरों को अग्रिम रूप से भेज दी जाएगी या उनके खाते में जमा करवा दी जाएगी परन्तु पैंशन की राशि भेजने से पहले, पहली तिमाही में भेजी गई राशि की रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा । यदि किसी कारणवश मनीआर्डर वापिस आ जाए तो पुनः मनीआर्डर सरकार के खर्च पर भेजा जाए । यदि पैंशनर की मृत्यु अग्रिम पैंशन प्राप्त करने के उपरान्त तीन मास समाप्त होने से पूर्व ही हो जाये तो ऐसे मामलों में अधिक दी गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी ।

पैंशन का बन्द किया जाना :

11. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी को यह ज्ञात हो जाए कि किसी व्यक्ति को पैंशन गलती से या गल्त सूचना के आधार पर स्वीकृत हुई है या जिन परिस्थितियों के आधार पर पैंशन दी गई थी वह अब नहीं रही है तो वह उस पैंशनर का पूरा विवरण जिला कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा तथा जिला कल्याण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ही पैंशन जारी रखी या बन्द की जाएगी । ऐसे मामलों में जो पैंशन वितरित हो चुकी होगी, उसकी वसूली नहीं की जाएगी परन्तु गलत सत्यापन करने के लिए अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी । मृत्यु के मामले में पैंशन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं ही बन्द कर दी जाएगी तथा इसकी सूचना जिला कल्याण समिति को जब भी समिति की आगामी बैठक हो उसमें प्रस्तुत की जाएगी । इसी प्रकार विधवा के पुर्नविवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कल्याण अधिकारी पैंशन बन्द करके विवरण जिला कल्याण समिति को आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा जिन मामलों में पैंशन बन्द की जाती है उनमें प्रभावित व्यक्ति छः मास के भीतर-भीतर निदेशक, (कल्याण) को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है तथा निदेशक, (कल्याण) छानबीन करने पर जो निर्णय देंगे वह अन्तिम होगा ।

पते में परिवर्तन :

12. यह पैंशनर का दायित्व होगा कि यदि उसका पते में कोई परिवर्तन हो तो वह परिवर्तित पते की सूचना सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण अधिकारी को दगा । जो पैंशनर हिमाचल प्रदेश से बाहर 6 मास से अधिक समय तक रहगा सामान्यतः पैंशन का हकदार नहीं रहगा । परन्तुक यदि वह स्वीकृति अधिकारी पैंशनर के प्रदेश से बाहर रहने की परिस्थितियों से सन्तुष्ट हो तो वह पैंशन जारी रखने में सक्षम होगा यदि पैंशनर 2 साल से भी अधिक समय तक प्रदेश से बाहर रहे तो उसकी पैंशन जिला कल्याण समिति से निर्णय प्राप्त करन के उपरान्त बन्द कर दी जाएगी ।

नियम कालिक जांच :

13. स्वीकृत पैंशनरों की समय-समय पर सम्बन्धित

जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा जांच की जाती रहेगी । जब भी अधिकारी प्रवास पर जाएंगे तो वह उस क्षेत्र म पैंशनर की आर्थिक स्थिति की जानकारी पंचायत तथा महिला मण्डल के सहयोग से प्राप्त किया करेंगे तथा प्राप्त की गई जानकारी नियम 7(1) में दिए गए रजिस्टर में दर्ज की जाएगी ।

द्वितीय भाग

लेखांकन कार्यविधि :

14. प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर उसे नियम 7(1) में दिए गए रजिस्टर में जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा दर्ज करके प्रार्थना-पत्र को स्थाई क्रमांक द कर पावती प्रार्थी को भेजी जाएगी ।

प्राथमिकता :

15. नियम में वर्णित 3 प्रकार की पैंशनों का अलग-अलग प्राथमिकता उनके प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा यदि बजट में धनराशि कम उपलब्ध हो तो पैंशनर क पैंशन के प्रार्थना-पत्र अधिक हो तो बाद में प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों को लम्बित रखा जाएगा । रजिस्टर में दर्ज तिथि के आधार पर प्राथमिकता में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा ।

16. किसी भी न्यायालय द्वारा की गई कुड़की इस पर लागू नहीं होगी ।

17. प्रत्येक स्वीकृत पैंशनर का विवरण निजी लेजर खाते में फार्म पैंशन 3 में रखा जाएगा जिसमें प्रति 6 माह में किया गया भुगतान का विवरण भी दर्ज किया जाएगा ।

18. प्रत्येक मनीआर्डर पर शब्द, हिमाचल प्रदेश, वृद्धावस्था पैंशन, अपंग राहत भत्ते/विधवा पैंशन जो लागू होगा अंकित होगा जैस 3 मास की पैंशन भेजी जा रही है उसकी अवधि एवं दर भी अंकित होगी । मनीआर्डर भेजने से पहले आहरण तथा वितरण अधिकारी यह भली-भांति जांच लेगा कि पैंशनर का ठीक नाम व पता उसमें दिया गया है । वही अधिकारी निजी लेजर लेखा तथा उसमें सत्यापन के बाद हस्ताक्षर करने का जिम्मेवार भी होगा ।

19. यदि पैंशनर अनपढ़ हो तो मनीआर्डर का भुगतान किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति की मौजूदगी में किया जाएगा जोकि मनीआर्डर पर गवाही देगा । जिस पर पैंशनर का अंगूठा लगेगा । यदि कोई पैंशनर किसी कारण मनीआर्डर का अंगूठा/उंगलियों के चिन्ह नहीं लगा सकता तो उसकी राशि का भुगतान डाकघर विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा । 12 साल से कम आयु वाले बच्चों को पैंशन का भुगतान उनके माता-पिता या संरक्षक को किया जाएगा । परन्तु 6 मास में जिला कल्याण अधिकारी द्वारा निजी लेजर लेखा का निरीक्षण किया जाएगा तथा जिन वृद्धों/अपंग/विधवाओं की पैंशन की अदाएगी नहीं की गई होगी उनकी छानबीन होगी तथा प्राप्त रसीदों को लेजर के उपयुक्त कालम में दर्ज कर उस पर "कैंसल्ड" की मोहर लगा कर क्रम वार सम्बन्धित जिला के जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा । यदि पैंशनरों की रसीद आने में 45 दिन से अधिक का समय लग जाए या भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो जाए तो आहरण तथा वितरण अधिकारी डाकतार विभाग के साथ मामले को उठाएगा और इसमें एक मास के अन्दर-अन्दर अन्तिम निर्णय लेकर पैंशनर को तथ्यों से अवगत करवाएगा तथा पैंशन के भुगतान का प्रबन्ध करवाएगा । पैंशनर के मनीआर्डर की रसीदें सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी क कार्यालय में भली प्रकार दो वर्ष या जब तक औडिट नहीं हो जाए तब तक सुरक्षित रखी जाएगी । पैंशन योजना की वितरित धनराशि की लेखा परीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा की जाएगी ।

20. धनराशि की बड़ी मात्रा में नकद रूप में ले जाने की बजाय जहां तक सम्भव हो इसे डाकतार विभाग को धनराशि बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा दी जाया करेगी ।

बिना भुगतान की राशि :

21. आहरण तथा वितरण अधिकारी ऐसे मनीआर्डर की राशि को बिना भुगतान के वापिस आएगी को स्वयं प्राप्त करेगा यदि किसी कारणवश वह कार्यालय में न हो तो यह राशि मुख्यालय क तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा जिला कल्याण अधिकारी के आने पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इस राशि का विवरण अलग रजिस्टर खोल कर पैंशन फार्म-4 पर रखा जाएगा ।

22. रजिस्टर पर दर्ज विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जो धनराशि बिना वितरण के वापिस प्राप्त होगी उसे रोकड़ म लिया जाएगा । यदि इस राशि को दोबारा पैंशनर को नहीं भेजा जाना हो तो समस्त राशि जो वापिस हुई है उसके अगले 3 मास के बिल में शार्ट ड्राल द्वारा समायोजन किया जाएगा ।

23. सम्बन्धित जिलों के जिला कल्याण अधिकारी 6 माह में पैंशन का वितरण करने के तुरन्त उपरान्त पैंशन वितरण रिपोर्ट जून माह व दिसम्बर के अन्त में पैंशन फार्म-5 पर निदेशालय, समाज एवं महिला कल्याण को प्रस्तुत करेंगे । इसके साथ ही साथ लम्बित पैंशन मामलों का विवरण भी फार्म पैंशन 6 पर प्रस्तुत किया जाएगा । परन्तु जिला के जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से अपने जिले में तीनों प्रकार की पैंशनों के पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण करवायेगा तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट फार्म-7 पर निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण को प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जाएगी ।

24. निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग पैंशन योजना के प्रमुख इन्चार्ज होंगे । वह इस योजना को ठीक रूप से कार्यान्वित करने हेतु समय-समय पर उचित आदेश जारी करेंगे ।

लेखा शीर्ष :

25. वृद्धावस्था पैंशन तथा अपंग राहत भत्ता तथा विधवा पैंशन का व्यय मनीआर्डर कमीशन सहित निम्न लेखा शीर्ष या सरकार द्वारा निर्धारित लेखा शीर्ष से किया जाएगा ।

वृद्धावस्था पैंशन/अपंग/राहत भत्ता :

(I) 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—02 समाज कल्याण—102 सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पैंशन-01 वृद्धावस्था पैंशन (गैर-योजना) ।

विधवा पैंशन :

(II) 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—02 समाज कल्याण—102 सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पैंशन-02 विधवाओं को पैंशन (गैर-योजना) ।

इन पैंशनों से सम्बन्धित नियमों जो अधिसूचना सं0 12-2/71-बैल-सकट, दिनांक 28-2-73 तथा कल्याण क-3-4/79, दिनांक 26-2-80 द्वारा अधिसूचित किए गए है उन नियमों के अधीन दिए गए निर्णय नियमित समझ जाएंगे तथा बाद क सन्शोधनों द्वारा अधिसूचित किए गए नियम इस अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ निर्सित समझ जाएंगे ।

पैंशन फार्म-1

कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वृद्धावस्था पैंशन/अपंग राहत भत्ता/विधवा पैंशन के लिए प्रार्थना-पत्र ।

1. प्रार्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. यदि पिता/पति जीवित नहीं है तो संरक्षक का नाम व उससे नाता .....
4. जाति .....
5. आयु .....
6. शिनाखती चिन्ह .....

7. वर्तमान रिहायश का पता .....
8. स्थाई पता .....
9. पता जहां प्रार्थी पिछले चार वर्षों से रह रहा है .....
10. माता/पिता/पति में कौन जीवित है .....
11. आप कैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं .....
12. क्या स्थाई या अस्थाई रूप से अपंग हैं । अपंगता का ब्यौरा तथा अपंगता की प्रतिशता क्या है । प्रमाण-पत्र चिकित्सा अधिकारी/इंचार्ज राजकीय चिकित्सालय/सिविल डिसपैंसरी से प्राप्त कर संलग्न किया जाए ।

13. आश्रित सदस्यों की सूची

क्र0सं0	नाम	आयु	नाता	व्यवसाय
1	2	3	4	5

14. समस्त स्रोतों से मासिक आय .....
15. प्रार्थी की शिक्षा .....
16. क्या प्रार्थी को किसी प्रकार की सहायता पैंशन इत्यादि सरकार से मिलती है यदि मिलती है तो कहां से और कितनी .....

17. सम्पत्ति की व्याख्या और उसकी कीमत :—
(क) भूमि अन्दाजन
(ख) बैंक में जमा राशि व डाकघरों के बजट खाते में जमा राशि का विवरण ।
(ग) राजकीय सिक्यूरिटी में लगाया गया धन
(घ) अन्य साधनों से आमदनी .....
(ङ) कुल सालाना आमदनी .....

18. दो व्यक्तियों के नाम व पूरा पता जो प्रार्थी को भली भान्ति जानते हों और प्रार्थी की वास्तविकता को बतला सकें ।

1. नाम व पता :
2. नाम व पता :

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगठे का निशान
(पैड स्याही के साथ)

घोषणा

मैं ..... पुत्री/पुत्र/पत्नी ..... ग्राम ....., डाकघर ....., तहसील ....., जिला ..... सत्यानिष्ठा लेकर अपने ज्ञान में अभिपुष्टि पूर्वक यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि उक्त तथ्य मेरे प्रतिज्ञान से सही है । इसमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई बात छुपाई गई है । मैं यह भी पुष्टि करता हूं/करती हूं कि इससे पूर्व मैं कोई पैंशन प्राप्त नहीं कर रहा हूं/रही हूं ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
(पैड की स्याही के साथ)

सत्यापन रिपोर्ट

, जिला कल्याण अधिकारी,
तहसील कल्याण अधिकारी ।

प्रमाण-पत्र

नीचे लिखे प्रमाण-पत्र जिला कल्याण अधिकारी/तहसील/कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे :—

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री ..... ग्राम ....., डाकघर ..... तहसील ....., जिला ..... हिमाचल प्रदेश का/की स्थाई निवासी हूं ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री ..... ग्राम ....., डाकघर ....., तहसील ....., जिला ..... की मासिक/वार्षिक आमदनी समस्त स्रोतों से ..... रुपये है और न ही इसका कोई कमाने वाला है ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... की आयु ..... शब्दों ..... में वर्ष है ।

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... को विभाग द्वारा पहले पैंशन स्वीकृत नहीं की गई है ।

हस्ताक्षर मोहर सहित
जिला कल्याण अधिकारी,
तहसील कल्याण अधिकारी ।

पैंशन फार्म-2

क्र0सं0	प्रार्थी का नाम व पता	पैंशन फार्म पावती की तिथि	पावती पत्र भेजने की तिथि	अधिकारी सत्यापन विवरण
1	2	3	4	5

सत्यापन द्वारा पात्र पाया गया या नहीं	यदि पात्र नहीं पाया गया तो उत्तर भेजने की तिथि	जिस अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई	स्वीकृति सं0 जिसके अन्तर्गत पैंशन स्वीकृत की गई
6	7	8	9

नियमित निरीक्षण की तिथि तथा निरीक्षण का परिणाम।	विवरण
10	11

पैंशन फार्म—3

अधिकारी जिस द्वारा पैंशन स्वीकृत की गई ..... खाता सं0 ....
पैंशनर का नाम ..... जाति .....
पिता/पति का नाम .....
ग्राम ..... डा0 ....., तह0 ....., जिला .....

क्र0सं0	पैंशन की दर	तिथि जिसे पैंशन स्वीकृत की गई	स्वीकृत सं0 व दिनांक	अवधि जिसके लिए स्वीकृत देय है
1	2	3	4	5

अर्ध-वार्षिक की अवधि जिसके लिए पैंशन भेजी गई	पैंशन की राशि	मनीआर्डर रसीद सं0 व दिनांक जिसको राशि भेजी गई	अधिकारी के हस्ताक्षर
6	7	8	9

पावती रसीद प्राप्ति की तिथि	अधिकारी के हस्ताक्षर	पैंशन बन्द होने के कारण तथा तिथि
10	11	12

अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण
13	14

पैंशन फार्म-4

क्र0सं0	पैंशनर का नाम व पता	व्यक्तिगत लैजर खाता नं0	जिस अर्द्ध वार्षिक का मनीआर्डर वापिस प्राप्त हुआ
1	2	3	4

राशि जो वापिस प्राप्त हुई	मनीआर्डर वापिस प्राप्त होने का कारण	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
5	6	7

यदि दोबारा मनीआर्डर भेजा गया है उसकी रसीद सं0 व दिनांक	वापिस प्राप्त हुई राशि जिस तिथि को रोकड़ में दर्ज की गई का विवरण	अधिकारी के हस्ताक्षर
8	9	10

बिल सं0 जिसके द्वारा वापिस प्राप्त हुई राशि का शार्ट ड्राल की गई	जिस अधिकारी के आदेशों के द्वारा शार्ट ड्राल की गई	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
11	12	13

पैंशन फार्म-5

..... से ..... तक समाप्त होने वाले अर्द्ध वार्षिक की पैंशन वितरण रिपोर्ट ।

जिला का नाम .....

क्र0 सं0	पैंशन की किस्म	आवंटित पैंशनरों की सं0	अर्द्ध-वार्षिक समाप्त होने से पूर्व स्वीकृति पैंशनरों की सं0	पिछले अर्द्ध-वार्षिक में मृत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5

वर्तमान पैंशनरों की सं0	कालम 3 व 6 में भिन्नता	भिन्नता के कारण	पिछले अर्द्ध-वार्षिक में प्रतिस्थानी स्वीकृति द्वारा ली गई स्वीकृति की सं0
6	7	8	9

वर्तमान अर्द्ध वार्षिक में जितने व्यक्तियों को पैंशन भेजी गई	भुगतान जब आरम्भ किया गया, उसकी तिथि	भुगतान की अन्तिम तिथि	अर्द्ध वार्षिक में जितना खर्चा किया गया
10	11	12	13

स्वीकृत मामलों के अतिरिक्त जितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए	कालम 14 में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से कितनों का सत्यापन किया गया व सही पाए गए	विवरण
14	15	16

पैंशन फार्म-6

पैंशन योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना-पत्रों का अर्द्ध वार्षिक विवरण .....को समाप्त हो रहे अर्द्ध वार्षिक का विवरण ।

क्र0 सं0	योजना का नाम	पिछले अर्द्ध वार्षिक के अन्त में लम्बित प्रार्थना-पत्रों की संख्या		
		कुल	सत्यापन किए गए	सत्यापन हेतु लम्बित है
1	2	3	4	5

योजना के अन्तर्गत इस अर्द्ध वार्षिक में जिसकी सूचना भेजी जा रही है कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।		कुल		सत्यापन न करन का कारण	क्या पूर्ण जिले का सर्वेक्षण किया गया या नहीं यदि हां तो कारण तथा जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया गया उसका विवरण	पात्र व्यक्तियों के फार्म आदि पूर्ण करवाए गए या नहीं यदि नहीं तो कारण ।
कुल	सत्यापन किए गए	सत्यापन हेतु लम्बित है	कुल सत्यापन किय गए	सत्यापन हेतु लम्बित है	6	7
6	7	8	9	10		

पैंशन फार्म–7

क्र0 सं0	पैंशन की किस्म	वर्ष के लिए कुल निर्धारित पैंशनर	स्वीकृत पैंशनर	वर्ष के दौरान जिले में जो सर्वेक्षण किया गया उसमें पाए गए पात्र व्यक्तियों की संख्या	पात्र व्यक्तियों के बारे जिला कल्याण समितियों की सिफारिश	विवरण
1	2	3	4	5	8	9

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासनः म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub Judge, Kangra at Dharamshala

No. SSJ/90.....
Dt.....

Civil Suit No. 249/1989

Titled as Smt. Magan Devi d/o Shri Manoher Singh at present w/o Khem Bhalur. r/o Gabli Dar, Mauza Ghaniara, Tehsil Dharamshala District Kangra .. Plaintiff.

Versus

The general public etc.

Subject.—Proclamation in civil suit No. 249/1989 titled as Magan Devi *versus* the general public.

Whereas in the noted case the plaintiff has filed a civil suit for declaration in this court.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public and kith and kins to file their objections, if any, in this court on or before 25-4-1990 at 10 A.M. either personally or through an authorised agent, failing which the sit will be heard and allowed in favour of the applicant

Given under my hand and seal of the court on the 19th March, 1990.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Case No. 2/90

Date of hearing : 23-4-1990

Saran Dass s/o Diwana Ram, r/o village Bamnehr, Mauza Pathiar, P.O. Pothiar, Teh Palampur.. Petitioner.

Versus

1. General public.

2. Ratto Devi, 3. Smt. Kirtan Devi, 4. Smt. Gohri Devi .. Respondent.

To
General public.

Whereas in the above noted case the petitioner have filed an application in this court under section 9 of the Guardian and Wards Act in respect of the appointment of Guardian of minor Sujata Kumari d/o Prem Chand, s/o Shri Julfi Ram. village Bamnehr, P.O. Pathiar, Tehsil and District Kangra.

Hence, this proclamation is hereby issued against the general public of the illaqua kith and kins of the minor to file objection, if any, to the grant of said Guardianship, in this court on 23-4-1990 at 10.00 A.M. personally or through pleader failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte.*

Given under my hand and seal of the court on this 12th day of March, 1990.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Shri A. S. Jaswal, Sub Judge 1st Class (II), Hamirpur, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 77/89

Versus

8. Smt. Lohki Devi wd/o Tulsi r/o village Ser, Tappa Dhaned, Tehsil and District Hamirpur, Himachal Pradesh.

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendants cannot be served in the ordinary course of service as she is evading the service of summon issued against her.

Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against her to appear in this court on 11-4-90 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent to defend their case, failing which she will be proceeded *ex parte.*

Given under my hand and the seal of the court this 7th day of March, 1990.

Seal.

A. S. JASWAL,
Sub Judge 1st Class (II),
Hamirpur, H. P.

In the Court of Shri A. K. Sharma, Sub-Judge 1st Class, Court No. II, Una, District Una, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 67/1988

Pending for : 25-4-1990

Durga Dass son of Shri Mela Ram, caste Lohar, r/o village Santokhgarh, Tehsil and District Una (H.P.) .. Plaintiff.

Versus

Sant Ram son of Shri Mela Ram and others.

Suit for declaration

To

5. Khushi Ram son of Khazana Ram, resident of Village Santokhgarh, District Una (H.P.).

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant cannot be served in the ordinary course of service as he is evading the service of summons issued against him.

Hence this proclamation under Order 5, rule 20, C.P.C. is hereby issued against him to appear in this court on 25-4-1990 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which will be proceeded *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the court this 7th day of March, 1990.

Seal. A. K. SHARMA,
Sub Judge Ist Class, Court No. II, Una (H. P.).

ब अदालत श्री अनिल कुमार खाचो, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट कांगड़ा जिला कांगड़ा

श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव व डाकखाना समीरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी ।

बनाम

साधारण जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी समीरपुर, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके सुपुत्र श्री सुनील कुमार का जन्म दिनांक 28-9-1974 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड समीरपुर में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 17-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। अनिल कुमार खाचो,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री अनिल कुमार खाचो, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव व डाकखाना समीरपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ..प्रार्थी ।

बनाम

साधारण जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी समीरपुर, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके सुपुत्र श्री मनीश कुमार का जन्म दिनांक 26-7-1979 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड समीरपुर में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 17-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। अनिल कुमार खाचो,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री अनिल कुमार खाचो, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव व डाकखाना समीरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी ।

बनाम

साधारण जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी समीरपुर, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी सुपुत्री सुषमा कुमारी का जन्म दिनांक 19-6-1978 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड समीरपुर में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 17-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। अनिल कुमार खाचो,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री बी० आर० जम्वाल हि० प्र० से०, सनाहती रोहड़ू जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री सन्त लाल पुत्र श्री ज्ञान चन्द, साकन जाखो, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश .. फरीक अव्वल ।

बनाम

श्री धीरज राम आदि, वासी जाखो, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश .. फरीक दोयम ।

नोटिस बनाम:

श्री जोऊ लाल पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी जाखो, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

अपील जेर धारा 114 (2) आफ हि0 प्र0 टैनैंसी एण्ड लैण्ड रिकार्ड ऐक्ट ।

मुकद्दमा उपरोक्त उनवान बाला में फरीक दोयम जीऊ लाल पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी जाखी, तहसील चढ़गांव के नाम अदालत हजा से कई बार समन तथा बजरिया पंजीकृत ए0 डी0 से भी समन भेजे गए । मगर इस पर तामील असालतन नहीं हो रही है और न वह अदालत में हाजिर हो रहा है । अदालत को यह यकीन हो चुका है कि उसकी तामील साधारण तौर पर नहीं हो सकती ।

अतः श्री जीऊ लाल उपरोक्त को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर आपको उपरोक्त अपील के बारा कोई उजर व एतराज हो तो मिति 20-4-1990 को सुबह 10 बजे इस कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजर होवें, अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 9-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया है ।

मोहर । बी0 आर0 जम्वाल,
समाहर्ता, रोहड़, जिला,
शिमला, हि0 प्र0 ।

व अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री बीरबल पुत्र श्री राम रखा, वासी सौड़दा, डाकखाना घुंघला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री बीरबल पुत्र श्री राम रखा, गांव सौड़दा, डाकखाना घुंघला, तहसील बंगाणा ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री कुमारी शशि देवी का जन्म दिनांक 22-7-1983 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-4-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 के0 भटिया,
उप-मण्डल मैजिट्रेस्ट, ऊना,
जिला ऊना, हि0 प्र0 ।

व अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती फिरोजो देवी विधवा श्री दुर्गा दास, वासी थाना कलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, (हि0 प्र0) . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्रीमती फिरोजो देवी विधवा श्री दुर्गा दास, वासी थाना कलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी दोती कुमारी रचना देवी का जन्म दिनांक 26-1-1984 को हुआ है । लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-1990 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय म सुबह 10.00 बजे हाजर आवें तया अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हि0 प्र0 ।

व अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना
जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)

श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री अमृत सरिया, वासी कुठार बीट, उप-तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री जसवीर सिंह पुत्र अमृत सरिया, वासी कुठार बीट, उप-तहसील हरोली ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसक पुत्र दीपक ठाकुर का जन्म दिनांक 27-8-1987 को हुआ है । लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तया अपने उजर पेश कर अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

व अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट ऊना,
जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश)

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी मुहल्ला तेलियां, ऊना, (हि0 प्र0) । . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री किशन चन्द, वासी मुहल्ला तेलियां न इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र टीका (Tikka) का जन्म दिनांक 19-1-1968 को हुआ है । लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करे

अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री यज्ञ दत्त शर्मा पुत्र श्री मुन्शी राम, वासी वलियारा, तप्पा हेरू, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता ।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री यज्ञ दत्त शर्मा पुत्र श्री मुन्शी राम, वासी वलियारा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री निधी शर्मा का जन्म दिनांक 6-6-1987 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 7-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 ।

ब अदालत श्री आर0 के0 भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती राम प्यारी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी मलाहत नगर, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता ।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्रीमती राम प्यारी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी मलाहत नगर ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री नीरज का जन्म दिनांक 14-3-1986 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावगी ।

आज तिथि 7-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

आर0 के0 भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 ।

ब अदालत जनाब बलदेव शर्मा, तहसीलदार व अख्त्यारात सब-रजिस्ट्रार हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 5 आफ 1989

श्रीमती सुखदेवी बेवा श्री शक्ति चन्द पुत्र वीरबल, वासी चलोंखर, मौजा मतिटीहरा .. सायला ।

बनाम

आम जनता .. मसूलअलेहम ।

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 बाबत रजिस्टर्ड करने वसीयतनामा मुतवफी श्री शक्ति चन्द पुत्र वीरबल, वासी चलोंखर, मौजा मतिटीहरा ।

नोटिस बनाम आम जनता ।

उपरोक्त विषय पर हर आम या खास को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वसीयत को रजिस्टर्ड करने में कोई उजर हो तो वह दिनांक 2-5-1990 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर इसकी पैरवी करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से मिति 12-2-1990 को जारी हुआ ।

मोहर ।

बलदेव शर्मा,
तहसीलदार व अख्त्यारात,
सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर ।

In the Court of Shri Bhagwan Dass Madan, Executive Magistrate, Indora, District Kangra (H. P.)

Shri Joginder Singh son of Shri Mahant Ram, resident of village Malot, Tehsil Indora, District Kangra (H. P.) .. Applicant.

Versus

General public .. Respondent.

Application under section 13 (3) of Registration Births and Deaths Act, 1969.

To

The general public.

Whereas in the above-noted applicant have moved an application duly supported with an affidavit under section 13 (3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 for Registration of his daughter named Miss Mina Kumari who was born on 22-12-1984 in village Malot, Tehsil Indora, District Kangra (H. P.).

Hence this proclamation is hereby issued to the general public to file their objection, if any, before this court on or before 16-4-1990 at 10. A. M. personally or through an authorised agent, failing which *ex parte* proceeding shall be granted in favour of the applicant.

Given under my hand and the seal of this court today the 7th day of March, 1990.

Seal.

BHAGWAN DASS MADAN,
Executive Magistrate,
Indora, District Kangra (H. P.).

In the Court of Shri Bhagwan Dass Madan, Executive Magistrate, Indora, District Kangra, (H.P.)

Shri Amar Singh son of Sankar Singh, resident of village Indora, District Kangra, H. P. ..Applicant.

Versus

General public ..Respondent.

Application under section 13(3) of the Births and Deaths Registration Act, 1969.

To

The general public.

Whereas the above noted applicant have moved an application duly supported with an affidavit under section 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 for registration of his grandson named Gopal Singh son of Shri Subhas Singh who was born on 2-2-1987 in village Indora, Tehsil Indora, District Kangra H. P.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public to file their objection, if any, before this court on or before 16-4-1990 at 10-00 A. M. either personally or through authorised agent, failing whic *ex parte* shall be granted in favour of the applicant.

Given under my hand and the seal of this court today the 7th March, 1990.

Seal. BHAGWAN DASS MADAN,
Executive Magistrate,
Indora, District Kangra.

ब आदेश श्री मस्त राम शर्मा तहसीलदार/सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कांगड़ा

मुकद्दमा नं0 454/88

1. राजेश कुमार, 2. राकेश कुमार, माईनर पुत्रान प्रकाश पुत्र शादीराम. निवासी मुहाल कटवाल लाहड़, मौजा दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा .. वादी।

बनाम

1. सूकू पुत्र सुरजन पुत्र धौना, 2. श्रीमती शान्ती पुत्री सुरजन पुत्र धौना, 3. सुरिन्दर कुमार पुत्र गुलाबा, प्रवीण पुत्री गुलाबा, श्रीमती कृष्णा देवी विध्वा गुलाबा, राजमल पुत्र दमोदरी बेवा गुलाबा, कुमारी कमला पुत्री दमोदरी, निवासी महाल कटवाल लाहड़, मौजा दौलतपुर तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र तकसीम आराजी खाता नं0 22, खतौनी नं0 51 ता0 53. रकबा तादादी 6-79-88 हैक्टेयर वाक्या महाल, कटवाल लाहड़, मौजा दौलतपुर।

नोटिस:

उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन द्वारा इत्तलाह दी गई कि वह हाजर अदालत आवें मगर समन की तामील साधारण तरीका से न हो सकी। अतः बजरिया इश्तहार उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वो दिनांक 24-4-90 प्रातः 10 बजे हमारी अदालत तहसील कांगड़ा में असालतन या वकालतन हाजर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार हमारी अदालत से आज हस्ताक्षर व मोहर से दिनांक 8-3-1990 को जारी हुआ।

मोहर। मस्त राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कांगड़ा।

व अदालत श्री सीता राम शर्मा, तहसीलदार/सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी कांगड़ा

मुकदमा नं0 . . . /89

श्री केदार नाथ पुत्र नारायण दास, वासी नगरोटा बगवां

बनाम

श्री पून्नू राम, मनी राम, राम लाल पुत्र जानकी राम, वासी सतरेहड़, मौजा नगरोटा बगवां।

दरख्वास्त भूमि खाता नं0 31 मिन खतौनी नं0 63 मिन, खसरा नं0 82-82, किता 2, तादादी 0-06-72 हैक्टेयर वाक्या महाल सतरेहड, मौजा नगरोटा बगवां।

नोटिस:

मुकदमा उनवानबाला में उपरोक्त प्रतिवादी गण को कई बार समन द्वारा इतलाह दी गई कि वह बगर्ज पैरवी मुकद्दमा हाजर अदालत आवें, मगर समन की तामील साधारण तरीका से न हो सकी और प्रत्यार्थीगण जानबूझ कर समन की तामील नहीं कर रहे हैं। अत :बजरिया इश्तहार उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 19-4-90 प्रातः 10 बजे हमारी अदालत तहसील कांगड़ा में असालतन या वकालतन हाजर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 8-3-1990 को जारी हुआ।

सीता राम शर्मा,
मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा।

व अदालत श्री जितेन्द्र सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 5/88 तारीख मरजूआ 16-5-88

नान्टा राम पुत्र श्री नानकू, निवासी कांगटा फैलग, उप-तहसील, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ..फरीक अव्वल।

बनाम

श्री सुरतु पुत्र श्री शिरूनू, निवासी कांगटा फैलग, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) .. फरीक दोयम।

दरख्वास्त सेहतु इन्द्राज बावत अराजी मन्दरजा खाता/खतौनी नं01/4, खसरा नं0 243, 244, किते 2, तादादी 4-7 बीघे वाका मौजा कांगटा फैलग, उप-तहसील ददाहू जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवान बाला में फरीक दोयम श्री सुरतु पर समन की तामील मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिंदा साधारण तरीके से हानी न मुमकीन है और रिपोर्ट तामिल कुनिंदा से यह भी जाहिर होता है कि सुरतु उपरोक्त मजकूर फौत हो चुका है और उसके जाईज वारसान का सही पता इलाका में किसी को मालूम नहीं है।

अतः बजरिया इश्तहार हजा श्री सुरतु उपरोक्त मजकूर के कोई जायज वारीस हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में मुकर्ररा तारीख मिति 16-4-1990 को हाजिर अदालत हो कर पैरवी मुकद्दमा करें। बसूरत दीगर मकददमा हजा की सुनवाई यकतरफा करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक, 8 मार्च 1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जितेन्द्र सिंह नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर।

बअदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सोलन (हि0 प्र0)

मुकदमा नं0 15/13-बी आफ 88/89
तिथि दायरा: 14-6-1989

उनवान मुकद्दमा दरख्वास्त दरुस्ती खसरा गिरदावरी व कागजात

माल खसरा नं0 5, 12, 38, 39, 60, 66, 72, 61, 9, 11, 37 व 75 किता 12 तादादी 25 बीघा 7 बिस्वा वाका मौजा कठयार, परगना हरीपुर, तहसील व जिला सोलन :

श्री चेत राम वनाम श्रीमती शिवी वगैरा

मुकद्दमा उनवान वाला उपरोक्त में 1. श्रीमती शिवी पुत्री श्री गौसाऊं, 2. श्री देवी दास पुत्र श्री रिखी राम, 3. श्री माधु राम पुत्र श्री कर्म दास, 4. श्रीमती फुला देवी पुत्री श्री तुलसिया 5. श्री मुख्तयार सिंह पुत्र श्री जठू सभी निवासीयान कठयार परगना हरीपुर, तहसील व जिला सोलन व 6. श्री राम सिंह, 7. दिला राम, 8. श्रीमती रोशनी देवी, 9. श्रीमती बन्ती देवी सभी पुत्र व पुत्रियां श्री मंगलू, 10. श्रीमती संवारू विधवा श्री मंगलू शर्मा निवासीयान शमलेच, तहसील व जिला सोलन पर तामील बजरिया समन मौका हजा में नहीं हो रही है। अत: इश्तहार हजा के जरिये उपरोक्त ग्रासामीयान को सूचित किया जाता है कि वह तारीख 23-4-1990 असालतन व वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवें। अदम पैरवी मुकद्दमा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 1-3-1990 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सोलन।

ब अदालत श्री जे0 पी0 शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बमुकद्दमा

जैवन्ती विधवा मोहिन्द्र, निवासी वाह, ई0 भद्रोता . . प्रार्थिन।

बनाम

सर्वश्री पंजकू पुत्र दया राम, बंसी लाल पुत्र कर्म सिंह, रूलदु पुत्र तुलसिया, अमर सिंह पुत्र किशन, शांति विधवा टोडर, निवासी वाह, ई0 भद्रोता . . प्रतिपक्षीगण।

दरख्वास्त तकसीम अराजी।

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को कई बार इस न्यायालय से समन जारी हुये लेकिन उन पर तामील समन नहीं हो रही है अत: न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उन पर तामील समन साधारण तरीके से होनी कठिन है।

अत: उपरोक्त फरीक दोयम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि व असालतन या वकालतन दिनांक 21-4-1990 को समय 10 बजे प्रात: हमारे न्यायालय सरकाघाट में हाजर हो कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से मिति 2-3-1990 को जारी हुआ।

मोहर। जे0 पी0 शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, भू0-एकीकरण विभाग, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

इन्तकाल नं0	नाम गांव/मौजा	किस्म ई0	तारीख पेशी
317	सलवाहण	मकफूद उलखबरी	4-4-1990

हरू पुत्र शिबू वनाम कर्मू, चूंजरु, श्रेस्तो, जानकी, द्रोपती, पंजकी, प्रभदयाल, कृष्ण चन्द, चतराम, माघू पिसरान आलमू, मोती, निवासी सलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी।

विषय : तसदीक ई0 नं0 317, गांव सलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . मकफूद उलखबरी।

उक्त विषय के सन्दर्भ में इन्तकाल नं0 317, मुहाल सलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में जेर समायत है। हरू पुत्र शिबू, बार-बार इत्तलाह के बावजूद हाजर नहीं आ रहा है प्रतिवादी का कथन है कि वह अरसा 30-35 वर्ष से लापता है उसके जीवित व मरने की कोई खबर न हैं। इसलिए उक्त इन्तकाल के निर्णय हेतु आम सूचित किया जाता है कि हरू की वरासत मकफूद उलखबरी बनाम कर्मू, चून्जरु, श्रेस्ती पिसरान मोती व जानकी, द्रोपती, पंजकी, प्रभदयाल, कृष्ण चन्द, चेत राम, माघू, पिसरान आलमू तसदीक करने में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 4-4-1990 को बराए पैरवी असालतन या वकालतन सुबह 10 बजे मेरी अदालत मुकाम सुन्दरनगर हाजर आ सकता हैं। अन्यथा ई0 नं0 317 गांव सलवाहण बनाम वादीगण तसदीक कर दिया जाएगा। इसके पश्चात् कोई एतराज काबले समायत नहीं होगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 7-3-1990 को मोहर अदालत व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। एम0 एल0 कटारिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू0-एकत्रीकरण विभाग, सुन्दरनगर, (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 10/T/89 दरुस्ती इन्द्राज मौजा बसाल, तहसील ऊना।

हेम राज पुत्र बालक राम, जात वाहती, गांव बसाल, तहसील ऊना।

बनाम

1. देस राज, 2. रमेश चन्द, 3. सन्तोष चन्द, 4. ब्यासा देवी पुत्री, 5. जानकी देवी पुत्री सुन्दर, जात वाहती, गांव बसाल, तहसील ऊना।

दरख्वास्त बावत दरुस्ती इंद्राज बतौर गैर-मौरूसी, खेवट नं0 497, खतौनी नं0 738, खसरा नं0 821, तादादी भूमि 1-4 मरला मुताबिक जमाबन्दी साल 1981-82, वाक्या मौजा बसाल।

नोटिस बनाम प्रतिवादीगण 1. देस राज, 2. रमेश चन्द, 3. संतोष चन्द पुत्र जानकी देवी, 4. परमिन्द्र, 5. अनीता पुत्रीयां ब्यासा देवी, मौजा कोईडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना।

उपरोक्त मुकद्दमा दरुस्ती इंद्राज इस अदालत में जेरें समायत है उपरोक्त प्रतिवादीगण देस राज, रमेश चन्द, सन्तोष चन्द पुत्र जानकी देवी, परमिन्द्र, अनीता पुत्री ब्यासा, मौजा कोईडी को समन जारी हुए थे। इनको तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है क्योंकि Regd. A D. भी बिना तामील वापस प्राप्त हुई है इस लिए प्रतिवादीगण को जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 के अधीन नोटिस जारी किया जा कर सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 19-4-1990 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का फैसला कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। अर्जुन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
ऊना, हि0 प्र0।

HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA-5
"CONDUCT BRANCH"

NOTIFICATIONS

Shimla-5, the 14th March, 1990

No. 6-26/88-HPU (Conduct).—Shri Tulsi Ram Sharma

son of Shri Mathu Ram (Registration No. 71-OS-17) has been allowed to change his name from 'Tulsi Ram Sharma' to 'Tulsi Raman'. In future his name in the University record will be shown as 'Tulsi Raman' *alias* 'Tulsi Ram Sharma'.

Dharni son of Shri Balak Ram, registration No. 84-PMA-844 has been allowed to change his name from 'Salig Ram Dharni' to 'Rajinder Kumar Dharni'. In future his name in the University record will be shown as 'Rajinder Kumar Dharni' *alias* 'Salig Ram Dharni'.

Shimla-5, the 14th March, 1990

Sd/-
Assistant Registrar (Conduct),
H. P. University, Shimla-5.

No. 6-26/88-HPU (Conduct).—Shri Salig Ram

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं ।

शून्य

अनुपूरक

शून्य

भाग I

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 मार्च, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 161/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लाहड़ी, बरयोगी और नहेरा, तहसील थुनाग, जिला मण्डी में केलोधार-छतरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : थुनाग

गांव		खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0	बिस्वां0
1		2	3	4	5
लाहड़ी/389		114/2/1	0	8	18
		115/2/1	0	3	19
	कित्ता ..	2	0	12	17
बरयोगी/314		276/3/1	0	11	4
	कित्ता ..	1	0	11	4
नैहरा/385		260/1	0	5	18
		213	0	2	17
		196/1	0	5	3
		109/1	0	9	10
		155/1	0	4	2
		214/1	0	0	14
	कित्ता ..	6	1	8	4

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।